

क्रमांक/2045
प्रति,

1975 डाय/नगानि/09/

खण्डवा, दिनांक 26/12/2009

जिला कार्यालय, खण्डवा म090

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व,
खण्डवा म090 ।

विषय:-

ग्राम दोक्वाडा करार क्रमांक 851/2 रकबा 13.40 हेक्टर भूमि वाणिज्यिक
गोदाम एवं प्रोसेसिंग गोदाम हेतु भूमि परिवर्तन बाबत ।

संदर्भ:-

आपका पत्र क्रमांक 4700 दिनांक 16.12.2009।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में सूचित किया जाता है, कि ग्राम दोक्वाडा
खण्डवा 851/2 रकबा 13.40 हेक्टर भूमि वाणिज्यिक गोदाम एवं प्रोसेसिंग गोदाम प्रयोजन
हेतु म090 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1978 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित
शर्तों के अधिन भू-उपवर्तन किये जाने से इस कार्यालय को आपत्ति नहीं है ।

- 1- विद्यमान पहुँच मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 18.0 मीटर रखे हुये मार्ग
मध्य से 9.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु भूमि सुरक्षित रखी जावे ।
- 2- भूमि परिवर्तन के पश्चात् तद्विस्तृत स्थल मानचित्र की स्वीकृति इस कार्या-
लय से प्राप्त करने के पश्चात् स्थानिय ग्राम पंचायत से भवन निर्माण
की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
- 3- विद्युत लाईन के नीचे अथवा प्रभावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण
विकास कार्य प्रवर्धित होगा ।
- 4- भवन का निर्माण झूठे अथवा त्रुटिपूर्ण से कराना आवश्यक होगा ।
- 5- वर्षा/छत के पानी की हावैस्टिंग प्रणाली अमनाई जावे ।
- 6- भू-स्वामित्व वाद/विवाद या असत्य जानकारी प्रस्तुत करने की दशा में
यह अभिमत निरस्त माना जावेगा ।

यह अभिमत केवल भू-उपवर्तन की कार्यवाही हेतु जारी किया
गया है, इसे विकास/निर्माण अनुज्ञा नहीं माना जावे ।

Perakade

श्रीमति परमजीत कलसी
उप संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खण्डवा
खण्डवा, दिनांक

1975-डाय/नगानि/09/

पू090/

प्रतिलिपि :-

- 1-
- 2-

तरपंच ग्राम पंचायत दोक्वाडा तहसील खण्डवा की ओर सूचनार्थ ।
श्री सेठी प्रायट्टे एग्री प्रायट्टे लिमिटेड, खण्डवा की ओर सूचनार्थ ।

Perakade
उप संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खण्डवा

- 1- सेठी एग्रीटेक प्राय0लिमि0 तर्फे डायरेक्टर
श्रीमती आशा सेठी पति कमलेश सेठी जाति जैन
निवासी संतोषनगर, खंडवा। तहसील एवं जिला-खंडवा। आवेदक।

!! आदेश !!
(पारित दिनांक 5-1-2010)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक सेठी एग्रीटेक प्राय0लिमि0 तर्फे डायरेक्टर श्रीमती आशा सेठी पति कमलेश सेठी निवासी संतोषनगर, खंडवा द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन पत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 172 (1) के तहत नियत प्ररूप में अधिवक्ता श्री अरुण गुप्ता, खंडवा के माध्यम से पेश कर ग्राम दोंदवाड़ा तहसील-खंडवा स्थित मालकी एवं कब्जे की भूमि खसरा नं0 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर का व्यपवर्तन "वाणिज्यिक सीड्स प्रोसेसिंग और गोदाम निर्माण" हेतु चाहा गया है। आवेदन पत्र के साथ भूमि की रजिस्ट्री छाया प्रति, भूमि का नक्शा, खसरा, बी-1, मानचित्र आदि दस्तावेज संलग्न पेश किये गये हैं।

2- उक्त आवेदित कृषि भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन "वाणिज्यिक सीड्स प्रोसेसिंग और गोदाम निर्माण" किये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में इशतहार जारी किया। नियत अवधि में कोई आपत्ति न्यायालय में प्राप्त नहीं हुई। साथ ही संबंधित विभाग, उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा/सरपंच, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा जन0पंचा0 छैगांवमाखन एवं राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा से स्थल जांच प्रतिवेदन एवं रेन्ट गणना बाबत जानकारी प्राप्त की गई।

3- उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा का पत्र क्रमांक 2045/975-डाय/नग्रानि. 2009 खंडवा, दिनांक 26-12-2009 प्राप्त। जिसमें दर्शित किया ग्राम दोंदवाड़ा की भूमि खसरा नं0 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर का "वाणिज्यिक गोदाम एवं प्रोसेसिंग गोदाम" प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन धारित शर्तों के अधीन किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

सरपंच, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा जनपद पंचायत, छैगांवमाखन की एन0ओ0सी0 मय ठहराव प्रस्ताव प्राप्त। जिसमें दर्शित किया कि आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खसरा नं. 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर का वाणिज्यिक सीड्स प्रोसेसिंग एवं गोदाम निर्माण हेतु व्यपवर्तन किया जाता है तो इसमें ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

4- राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा द्वारा आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खसरा नं0 851/2 स्थल की जांच की जाकर प्रतिवेदन, रेन्ट गणना प्राप्त। जिसके अनुसार प0ह0नं0-88 ग्राम दोंदवाड़ा तह0खंडवा, की भूमि खसरा नं0 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर भू0रा0 रूपये 2=50 पैसा आवेदक सेठी एग्रीटेक प्राय0 लिमि0 श्रीमती आशादेवी पति कमलेश सेठी निवासी खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है।



को कृषि भिन्न प्रयोजन वाणिज्यिक शीड्स प्रोसेसिंग एवं गोदाम निर्माण हेतु वांछा है। आवेदित भूमि ग्राम दौंदवाड़ा ग्राम पंचायत, दौंदवाड़ा विकास खंड, छैगांवमाखन की सीमा अन्तर्गत आती है। भूमि, नगर पालिक निगम, खंडवा सीमा में स्थित नहीं है। आवेदित भूमि स्थल पर पड़त है। स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। आवेदित भूमि के आस पास कृषि भूमि एवं पड़त भूमियां है। आवेदित भूमि से 2 कि०मी० की दूरी पर कोई धार्मिक/समाजिक भवन नहीं बने है। आवेदित भूमि खंडवा से 11 कि०मी० की दूरी पर है एवं छैगांवमाखन से 5 कि०मी० की दूरी पर है। भूमि का व्यपवर्तन वाणिज्यिक प्रयोजन शीड्स प्रोसेसिंग एवं गोदाम निर्माण हेतु किया जाता है तो किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। आवेदित भूमि में से हाईटेन्शन विद्युत लाईन नहीं जा रही है। प्रश्नाधीन भूमि रकबा 1.40 हैक्टर का वर्गफीट में क्षेत्रफल 1,50,630 वर्गफीट होता है।

- आवेदित भूमि की चतुरसीमा निम्नानुसार है :-
- पूर्व दिशा में - खसरा नं० 858/1 की पड़त भूमि।
 - पश्चिम दिशा में - सीताराम पटेल की कृषि भूमि।
 - उत्तर दिशा में - आवेदिका की पड़त भूमि।
 - दक्षिण दिशा में - कच्चा रास्ता

वर्तमान में ग्राम दौंदवाड़ा तह०खंडवा की मानक दरे व्यपवर्तन हेतु स्वीकृत नहीं है। समीपस्थ ग्राम छैगांवमाखन की मानक दरें स्वीकृत है, जो आवेदित भूमि पर निर्धारित किया जाना है। छैगांवमाखन तह० खंडवा की दर व्यावसायिक रूपया 11=70 प्रति 100 वर्गफीट के मान से स्वीकृत है। जो आवेदित रकबा पर निर्धारित होगी। व्यावसायिक परिवर्तित रेन्ट रूपया 11=70 प्रति 100 वर्गफीट के हिसाब से आवेदित भूमि रकबा 1.40 हैक्टर अर्थात 1,50,630 वर्गफीट भूमि का व्यावसायिक परिवर्तित रेन्ट रूपया 17,624=00 प्रतिवर्ष, इस राशि का 50 प्रतिशत पंचायत उपकर राशि रूपया 8,812=00 प्रतिवर्ष तथा प्रीमियम व्यावसायिक दर रूपया 1=50 प्रति वर्गमीटर के मान से प्रीमियम रूपया 20,999=00 राजस्व वर्ष 2009-2010 से कायम किया जाना एवं कृषि भू०रा० रूपये 2=50 पैसा कम किया जाना प्रस्तावित किया है, जो एतद्वारा स्वीकृत किये जाते है।

5- प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि ग्राम दौंदवाड़ा खसरा नं० 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर शासकीय अभिलेखों में आवेदक फर्म सेठी एग्रीटेक प्राय०लिमि० डायरेक्टर श्रीमती आशादेवी पति कमलेश सेठी निवासी, खंडवा के नाम भूमिस्वामित्व मद में दर्ज हैं। भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन वाणिज्यिक व्यपवर्तन किये जाने हेतु इशतहार जारी होने पर, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। संबंधित विभागों ने भी शर्तों के अधीन भूमि व्यपवर्तन किये जाने में अपनी सहमति दी है।

अतएव उक्त विवेचना परिप्रेक्ष्य में ग्राम दौंदवाड़ा तहसील-खंडवा की भूमि खसरा नं० 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर अर्थात 1,50,630 वर्गफीट भूमि का "वाणिज्यिक गोदाम एवं निर्धारण के तहत प्रदान की जाती है।

1- व्यपवर्तित भूमि रकबा 1.40 हैक्टर अर्थात 150630 वर्गफीट भूमि पर व्याव.परिवर्तित रेन्ट रूपया 17,624=00 प्रतिवर्ष, पंचायत उपकर रूपया 8,812=00 प्रतिवर्ष तथा प्रीमियम रूपया 20,999=00 कायम किया जाता है। परिवर्तित रेन्ट राजस्व वर्ष 2009-2010 से देय होगा। कृषि भू०रा० 2=50 पैसा कम किया जाता है।



- 2- विद्यमान पहुँच मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 18.0 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य से 9.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखी जावेगी।
- 3- भूमि के सर्वेक्षित स्थल मानचित्र की स्वीकृति नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा से प्राप्त करने के पश्चात् स्थानीय ग्राम पंचायत से भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 4- विद्युत लाईन के नीचे अथवा प्रभावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य प्रतिबंधित होगा।
- 5- भवन का निर्माण भूकंप अवरोधी तकनीकी से कराना आवश्यक होगा। वर्षा-छत के पानी की हार्वेस्टिंग प्रणाली अपनाई जावेगी।
- 6- भूमिस्वामित्व संबंधी वाद/विवाद होने की दशा में अथवा गलत जानकारी देने अथवा आदेश में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन की दशा में दी गई अनुज्ञा निरस्त मानी जावेगी। यह आदेश आज दिनांक 5-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं सील मुद्रा से जारी किया।




(आर०एस०चौधरी)
अनुविभागीय अधिकारी,
अनुभाग-खंडवा

पृष्ठांक०क०क/री-अ०वि०अ०/2009
प्रतिलिपी-

खंडवा, दिनांक 5-1-2010

- 1- उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा।
- 2- तहसीलदार, तहसील-खंडवा/सहा०अधी० परिवर्तित शाखा, खंडवा।
- 3- सरपंच, ग्राम पंचायत, दौदवाड़ा। जन०पंचा० छैगांवमाखन। तहसील-खंडवा।
- 4- पटवारी, ग्राम दौदवाड़ा। तह०खंडवा द्वारा- राजस्व निरीक्षक, छैगांवमाखन।
- 5- सेठी एग्रीटेक प्राय०लिमि० तर्फे डायरेक्टर श्रीमती आशा सेठी पति कमलेश सेठी जाति जैन निवासी संतोषनगर, खंडवा। तहसील एवं जिला-खंडवा। की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु। परिवर्तित रेन्ट / प्रीमियम राशि अविलंब जमा कर चालान प्रति पेश करें।


अनुविभागीय अधिकारी,
अनुभाग-खंडवा

2009 4700

अनुभाग-४, अ.सू.भाग-४, अ.सू.भाग-४
खंडवा, दि. 16-12-2009

- 1- उपसंचालक,
- 2- नगर तथा ग्राम निवेश, बीड वस।
- 3- सरपंच,
- 4- ग्राम पंचायत, दोबवाड़ा। जन.पंच. उगावमाठान।


कृषि भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन बाणिज्यिक सीड्स प्रोसेसिंग एवं
 व्यवहृत किये जाने की अनुमति बाबत गोदाम निर्माण
 आवेदक श्री. **सेठी स्प्रीटेक प्रायोलिमिटेड** डायरेक्टर
 निवासी. **श्रीमती आशा सेठी** पति श्री **कमलेश सेठी** निवासी संतोछानगर
 कालोनी, खंडवा

आवेदक श्री. **सेठी स्प्रीटेक प्रायोलिमिटेड** डायरेक्टर श्रीमती आशा सेठी
 पति श्री **कमलेश सेठी**, संतोछानगर कालोनी, खंडवा
 की कृषि भूमि खासरा नं. **851/2**
 का क्षेत्रफल **संपूर्ण** को व्यवहृत किये जाने की
 पत्र के साथ आवेदित स्थल का नक्शा, खासरा आदि -

अतएव आप उक्त आवेदित भूमि/स्थल का प्रयोजन बाणिज्यिक "सीड्स
 प्रोसेसिंग एवं गोदाम निर्माण"
 के संबंध में अपना अभिमत दि. ... 31-12-2009 ...
 भाजवाने का कष्ट करें।
पंचायत, एनओसी मय पुस्तक
 नक्शा, खासरा, बी-1
 ले आउट प्लान प्रति।

[Signature]
 अनुभाग-४, अ.सू.भाग-४
 अनुभाग-४, अ.सू.भाग-४

ग्राम = देविका
 प्लॉट नं = २२/३२
 जमीन का प्रकार = खेती
 नं = १३३
 मालक = श्री. वि. क.



प्लॉट नं = १३३
 अशाक सिंह तंवर
 प. नं = २२/३२
 रा. नि. नं = १३३

5/8/2020

!! न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग-खंडवा !!

दिनांक 29/अ-2/2009-2010

ग्राम दौंदवाड़ा। तहसील-खंडवा।

- 1- सेटी एग्रीटेक प्राय0लिमि0 तर्फें डायरेक्टर श्रीमती आशा सेटी पति कमलेश सेटी जाति जैन निवासी संतोषनगर, खंडवा। तहसील एवं जिला-खंडवा।

..... आवेदक।

!! आदेश !!

(पारित दिनांक 5-1-2010)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक सेटी एग्रीटेक प्राय0लिमि0 तर्फें डायरेक्टर श्रीमती आशा सेटी पति कमलेश सेटी निवासी संतोषनगर, खंडवा द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन पत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 172 (1) के तहत नियत प्ररूप में अणिवक्ता श्री अरुण गुप्ता, खंडवा के माध्यम से पेश कर ग्राम दौंदवाड़ा तहसील-खंडवा स्थित मालकी एवं कब्जे की भूमि खसरा नं0 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर का व्यपवर्तन "वाणिज्यिक सीड्स प्रोसेसिंग और गोदाम निर्माण" हेतु चाहा गया है। आवेदन पत्र के साथ भूमि की रजिस्ट्री छाया प्रति, भूमि का नक्शा, खसरा, बी-1, मानचित्र आदि दस्तावेज संलग्न पेश किये गये हैं।

2- उक्त आवेदित कृषि भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन "वाणिज्यिक सीड्स प्रोसेसिंग और गोदाम निर्माण" किये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में इशतहार जारी किया। नियत अवधि में कोई आपत्ति न्यायालय में प्राप्त नहीं हुई। साथ ही संबंधित विभाग, उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा/सरपंच, ग्राम पंचायत, दौंदवाड़ा जन0पंचा0 छैगांवमाखन एवं राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा से स्थल जाँच प्रातिवेदन एवं रेन्ट गणना बाबत जानकारी प्राप्त की गई।

3- उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा का पत्र क्रमांक 2045/975-डाय/नग्रानि. 2009 खंडवा, दिनांक 26-12-2009 प्राप्त। जिसमें दर्शित किया ग्राम दौंदवाड़ा की भूमि खसरा नं0 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर का "वाणिज्यिक गोदाम एवं प्रोसेसिंग गोदाम" प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन धारित शर्तों के अधीन किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

सरपंच, ग्राम पंचायत, दौंदवाड़ा जनपद पंचायत, छैगांवमाखन की एन0ओ0सी0 मय ठहराव प्रस्ताव प्राप्त। जिसमें दर्शित किया कि आवेदित भूमि ग्राम दौंदवाड़ा खसरा नं. 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर का वाणिज्यिक सीड्स प्रोसेसिंग एवं गोदाम निर्माण हेतु व्यपवर्तन किया जाता है तो इसमें ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

4- राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा द्वारा आवेदित भूमि ग्राम दौंदवाड़ा खसरा नं0 851/2 स्थल की जाँच की जाकर प्रातिवेदन, रेन्ट गणना प्राप्त। जिसके अनुसार प0ह0नं0-88 ग्राम दौंदवाड़ा तह0खंडवा, की भूमि खसरा नं0 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर भू0रा0 रुपये 2=50 पैसा आवेदक सेटी एग्रीटेक प्राय0 लिमि0 श्रीमती आशादेवी पति कमलेश सेटी निवासी खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है।



आवेदक फर्म डायरेक्टर ने उक्त भूमि ग्राम दौंदवाड़ा खसरा नं० 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर को कृषि भिन्न प्रयोजन वाणिज्यिक सीड्स प्रोसेसिंग एवं गोदाम निर्माण हेतु चाहा है। आवेदित भूमि ग्राम दौंदवाड़ा पंचायत, दौंदवाड़ा विकास खंड, छैगांवमाखन की सीमा अन्तर्गत आती है। भूमि, नगर पालिक निगम, खंडवा सीमा में स्थित नहीं है। आवेदित भूमि स्थल पर पड़त है। स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। आवेदित भूमि के आस पास कृषि भूमि एवं पड़त भूमियां हैं। आवेदित भूमि से 2 कि०मी० की दूरी पर कोई धार्मिक/समाजिक भवन नहीं बने हैं। आवेदित भूमि खंडवा से 11 कि०मी० की दूरी पर है एवं छैगांवमाखन से 5 कि०मी० की दूरी पर है। भूमि का व्यपवर्तन वाणिज्यिक प्रयोजन सीड्स प्रोसेसिंग एवं गोदाम निर्माण हेतु किया जाता है तो किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। आवेदित भूमि में से हाईटेन्शन विद्युत लाईन नहीं जा रही है। प्रश्नाधीन भूमि रकबा 1.40 हैक्टर का वर्गफीट में क्षेत्रफल 1,50,630 वर्गफीट होता है।

- आवेदित भूमि की चतुरसीमा निम्नानुसार है :-
- पूर्व दिशा में - खसरा नं० 858/1 की पड़त भूमि।
 - पश्चिम दिशा में - सीताराम पटेल की कृषि भूमि।
 - उत्तर दिशा में - आवेदिका की पड़त भूमि।
 - दक्षिण दिशा में - कच्चा रास्ता

वर्तमान में ग्राम दौंदवाड़ा तह०खंडवा की मानक दरे व्यपवर्तन हेतु स्वीकृत नहीं है। समीपस्थ ग्राम छैगांवमाखन की मानक दरे स्वीकृत है, जो आवेदित भूमि पर निर्धारित किया जाना है। छैगांवमाखन तह० खंडवा की दर व्यावसायिक रूपरा 11=70 प्रति 100 वर्गफीट के मान से स्वीकृत है। जो आवेदित रकबा पर निर्धारित होगी। व्यावसायिक परिवर्तित रेन्ट रूपरा 11=70 प्रति 100 वर्गफीट के हिसाब से आवेदित भूमि रकबा 1.40 हैक्टर अर्थात् 1,50,630 वर्गफीट भूमि का व्यावसायिक परिवर्तित रेन्ट रूपरा 17,624=00 प्रतिवर्ष, इस राशि का 50 प्रतिशत पंचायत उपकर राशि रूपरा 8,812=00 प्रतिवर्ष तथा प्रीमियम व्यावसायिक दर रूपरा 1=50 प्रति वर्गमीटर के मान से प्रीमियम रूपरा 20,999=00 राजस्व वर्ष 2009-2010 से कायम किया जाना एवं कृषि भू०रा० रूपये 2=50 पैसा कम किया जाना प्रस्तावित किया है, जो एतद्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

5- प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि ग्राम दौंदवाड़ा खसरा नं० 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर शासकीय अभिलेखों में आवेदक फर्म सेठी एग्रीटेक प्राय०लिमि० डायरेक्टर श्रीमती आशादेवी पति कमलेश सेठी निवासी, खंडवा के नाम भूमिस्वामित्व मद में दर्ज हैं। भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन वाणिज्यिक व्यपवर्तन किये जाने हेतु इशतहार जारी होने पर, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। संबंधित विभागों ने भी शर्तों के अधीन भूमि व्यपवर्तन किये जाने में अपनी सहमति दी है।

अतएव उक्त विवेचना परिप्रेक्ष्य में ग्राम दौंदवाड़ा तहसील-खंडवा की भूमि खसरा नं० 851/2 रकबा 1.40 हैक्टर अर्थात् 1,50,630 वर्गफीट भूमि का "वाणिज्यिक गोदाम एवं प्रोसेसिंग गोदाम प्रयोजन" हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं निर्धारण के तहत प्रदान की जाती है।

1- व्यपवर्तित भूमि रकबा 1.40 हैक्टर अर्थात् 150630 वर्गफीट भूमि पर व्याव.परिवर्तित रेन्ट रूपरा 17,624=00 प्रतिवर्ष, पंचायत उपकर रूपरा 8,812=00 प्रतिवर्ष तथा प्रीमियम रूपरा 20,999=00 कायम किया जाता है। परिवर्तित रेन्ट राजस्व वर्ष 2009-2010 से देय होगा। कृषि भू०रा० 2=50 पैसा कम किया जाता है।



- 2- विद्यमान पहुंच मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 18.0 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य से 9.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखी जावेगी।
 - 3- भूमि के सर्वेक्षित स्थल मानचित्र की स्वीकृति नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा से प्राप्त करने के पश्चात् स्थानीय ग्राम पंचायत से भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 - 4- विद्युत लाईन के नीचे अथवा प्रभावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य प्रतिबंधित होगा।
 - 5- भवन का निर्माण भूकंप अवरोधी तकनीकी से कराना आवश्यक होगा। वर्षा-छत के पानी की हार्वेस्टिंग प्रणाली अपनाई जावेगी।
 - 6- भूमिस्वामित्व संबंधी वाद/विवाद होने की दशा में अथवा गलत जानकारी देने अथवा आदेश में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन की दशा में दी गई अनुज्ञा निरस्त मानी जावेगी।
- यह आदेश आज दिनांक 5-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं सील मुद्रा से जारी किया।




(आर0एस0चौधरी)
अनुविभागीय अधिकारी,
अनुभाग-खंडवा

पृष्ठांक0क/री-अ0वि0अ0/2009
प्रतिलिपी-

खंडवा, दिनांक 5-1-2010

- 1- उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा।
- 2- तहसीलदार, तहसील-खंडवा/सहा0अधी0 परिवर्तित शाखा, खंडवा।
- 3- सरपंच, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा। जन0पंचा0 छैगांवमाखन। तहसील-खंडवा।
- 4- पटवारी, ग्राम दोंदवाड़ा। तह0खंडवा द्वारा- राजस्व निरीक्षक, छैगांवमाखन।
- 5- सेठी एग्रीटेक प्राय0लिमि0 तर्फे डायरेक्टर श्रीमती आशा सेठी पति कमलेश सेठी जाति जैन निवासी संतोषनगर, खंडवा। तहसील एवं जिला-खंडवा। की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु। परिवर्तित रेन्ट / प्रीमियम राशि अविलंब जमा कर चालान प्रति पेश करें।


अनुविभागीय अधिकारी,
अनुभाग-खंडवा